न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 280/2017/223 आर टी ए

1. चन्द्रावती उर्फ चन्द्रो पत्नि स्व. महावीर जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र प्रताप पुत्र धारूराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. भालाराम पुत्र प्रताप पुत्र धारूराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. बेलीराम पुत्र स्व. अमीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. प्रभुराम पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. कुरड़ाराम पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. चरणसिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. घनश्याम पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. हरीसिंह पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. कुलदीप पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. कान्हाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. केहरसिंह पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2003 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा प्रकरण संख्या 576/02 अनवानी प्रताप बनाम अमीलाल आदि

उपस्थित :–
श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता अपीलांट
श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2
श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 ता 11
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 12

निर्णय दिनांकः–16.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 के पिता प्रतापसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश कर वादग्रस्त

भूमि मे हक व हिस्सानुसार विभाजन का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर खाता विभाजन के साथ साथ दो रास्ते स्वीकृत कर दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी/रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पिता द्वारा दावा बाबत खाता विभाजन प्रस्तुत किया गया था जिसमे उक्त खाता विभाजन म जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसमे सभी पक्षकारान की सहमति थी तथा सभी को उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार था। उक्त विभाजन प्रस्ताव मे जो रास्ता मु.न. 28 के कि.न. 8,13,18,23,24,25 प्रत्येक मे 1–1 बिस्वा दिया गया जो सिर्फ और सिर्फ वादी एवं रेस्पो0 सं. 1 व 2 के कब्जा काश्त एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन उपरांत कब्जा काश्त मे आई भूमि मे सीधे सीधे बिना अवरोध के मु.न. 29 के कि.न. 21 मे घुस्ता है व सुविधाजनक भी है लेकिन रेस्पो0 सं. 1 व 2 जो मु.न. 39 के कि.न. 3,8,13 स्वीकृत करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मु.न. 39 के कि.न. 3,8,13,16,17 मे प्रत्येक मे 1–1 बिस्वा व कि.न. 18 मे 2–2 बिस्वा भूमि जो मात्र फरीकैन के आने जाने हेतु रास्ता का अंकन कर दिया गया जबकि उक्त रास्ता कभी भी चलन मे नही था व ना ही है। मु.न. 39 कि.न. 18 मे अपीलांटा के पूर्वजो द्वारा एक कमरा बना हुआ है जिसमे पूर्वजो द्वारा एवं वर्तमान मे अपीलांट द्वारा अपने खेत मे काम आने वाले कृषि औजारो आदि के लिए उपयोग मे लेते आ रहे है जिसे अन्देखा कर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त रास्ता स्वीकृत किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर कथन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड मे लिये जाने का निवेदन किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर चक 10 एमएसआर के मु.न. 39 के कि.न. 16, 17 मे प्रत्येक मे 1–1 बिस्वा व किला नं. 18 मे 2–2 बिस्वा भूमि कभी कोई रास्ता चलन मे न था इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड से जरिये संशोधन कर कलमजन किये जाने आदेश पारित करें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 2 की चक 10 एमएसआर मे 27 बीघा भूमि है। उक्त भूमि का खाता विभाजन हुआ था तब रेस्पो0 ने आधा बीघा भूमि सह काश्तकारो को देकर अपने उक्त रकबा के लिए रास्ता मंजूर करवाया था। जो आज तक चालू था।

अपीलांट द्वारा उक्त रास्ता बंद कर देने के कारण रेस्पो0 द्वारा पुलिस थाना मे भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उक्त रास्ता के संबंध मे तहसीलदार द्वारा रास्ते की स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। जो प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समक्ष उभय पक्ष द्वारा राजीनामा पेश किया गया था जिसके आधार पर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो सही है। अपीलांट ने बिना किसी आधार के अपील प्रस्तुत की है। जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर अपील अपीलांट खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 12 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज मूल प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता की रिपोर्ट दिये जाने बाबत, मूल प्रार्थना पत्र की पुष्ट पटवारी हल्का रिपार्ट पटवार हल्का करणपुरा, मूल नजरी नक्शा मु.न. 39 पटवार हल्का करणपुरा तथा रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज फोटो प्रति मय पुष्ट रिपोर्ट पटवारी हल्का करणपुरा, फोटो प्रति नजरी नक्शा चक 1 एमएसआर, फोटो प्रति प्रार्थना पत्र भालाराम एसएचओ गोगामेडी आदि अपील के निस्तारण मे सहायक दस्तावेज होने के कारण उक्त दोनो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा बाबत खाता विभाजन प्रस्तुत किया गया था जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे विभजन प्रस्ताव मंगवाये बिना ही विभाजन करते हुए दो रास्ते भी स्वीकृत कर दिये गये जिसके संबंध मे अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मे मु.न. 28 कि.न. 8,13,18,23,24,25 मे प्रत्येक मे 1–1 बिस्वा रास्ता दिया गया है जो सही है वो सभी पक्षकारो की सुविधा हेतु सही था लेकिन मु.न. 39 के कि.न. 3,8,13,16,17 मे प्रत्येक मे 1–1 बिस्वा व कि.न. 18 मे 2–2 बिस्वा जो रास्ता दिया गया है वो गलत है, क्योंकि उक्त रास्ता कभी चलन मे ना था और ना ही

वर्तमान मे चालू है। चूंकि अपीलांट का विभाजन बाबत एवं मु.न. 28 कि.न. 8,13,18,23,24,25 मे प्रत्येक मे 1–1 बिस्वा रास्ता संबंधी को एतराज नही है मात्र मु.न. 39 के कि.न. 3,8,13,16,17 मे प्रत्येक मे 1–1 बिस्वा व कि.न. 18 मे 2–2 बिस्वा जो रास्ता स्वीकृत किया गया है उस बाबत आपत्ति है, क्योंकि उक्त कि.न. 18 मे अपीलांट का पक्का कमरा बना हुआ है उक्त रास्ता स्वीकृत होने के कारण अपीलांट के कमरे को क्षति पहुंचती है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री चक 10 एमएसआर के मु.न. 39 के कि.न. 16, 17 प्रत्येक मे 1–1 बिस्वा व कि.न. 18 मे 2–2 बिस्वा जो रास्ता स्वीकृत किया गया, की हद तक अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2003 चक 10 एमएसआर के मु.न. 39 के कि.न. 16, 17 प्रत्येक मे 1–1 बिस्वा व कि.न. 18 मे 2–2 बिस्वा जो रास्ता स्वीकृत किया गया, की हद तक अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे रास्ता संबंधी मौका निरीक्षण कर मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर प्रकरण मे पुनः निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 12.02.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ